

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन

प्रलिस के लयः

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन (CoF), कार्ड-ऑन-फाइल, भारतीय रज़रव बैंक (RBI)

मेन्स के लयः

कार्ड ऑन फाइल टोकनाइज़ेशन (CoFT) से संबंघतः मुददे

चरचा में क्योँ?

भारतीय रज़रव बैंक (RBI) ने नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा स्टोरेज मानदंड या कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन (CoF) के कार्यान्वयन के लयः समय सीमा छह महीने बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी है।

- डजिटल भुगतान फर्मोँ, व्यापारिक नकियोँ और बैंकोँ ने व्यापारिक लेन-देन में व्यवधान के डर के बीच ससि्टम को एकीकृत करने एवं सभी हतःधारकोँ को जोड़ने के लयः और अधिक समय मांगा था।
- सतःंबर 2021 में रज़रव बैंक ने व्यापारियोँ को 1 जनवरी, 2022 से अपने सरवर पर ग्राहक कार्ड ववःरण संग्रहीत करने से प्रतःबंधतः कर दयःा था और कार्ड भंडारण के वकिल्प के रूप में CoF टोकन को अपनाना अनवःर्य कर दयःा था।

PROCESS TO GET MORE TEDIOUS?

<ul style="list-style-type: none"> > E-tailers & payment gateways currently offer to store card details, including the 16-digit number > RBI's ban on storing card data would require e-commerce firms to opt for tokenisation or ask customers to enter the card number > Tokenisation refers to payment networks linking card data to a token, which is given to the merchant > This token can be used for payments but only by the specified merchant 	<ul style="list-style-type: none"> > The new rule will become the norm for all card-based transactions in e-commerce from Jan 2022 > According to a source, the threat of ransomware attacks have increased manifold > Online firms won't be able to store card info & debit recurring payments (won't affect billers added with bank directly) > It is thought RBI's move is aimed at increasing customer safety & improving data security
--	---

प्रमुख बडुः

- संदरभः
 - टोकनाइज़ेशन वास्तवकः क्रेडिट या डेबिट कार्ड ववःरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदरभतः करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्त्ता और डवःास के संयोजन के लयः अद्वतःतीय होगा।
 - टोकनयुक्त कार्ड लेन-देन को सुरक्षतः माना जाता है, क्योँकः लेन-देन प्रसंस्करण के दौरान वास्तवकः कार्ड ववःरण व्यापारी के साथ साझा नहीं कयःा जाता है।
 - जनि ग्राहकोँ के पास टोकन की सुवधःा नहीं है, उनहें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने पर अपना नाम, 16 अंकोँ का कार्ड

नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी दर्ज करना होगा।

- **कार्ड-ऑन-फाइल (CoF):** CoF एक ऐसा लेन-देन होता है जहाँ कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वीजा भुगतान वविरण को संग्रहीत करने हेतु एक व्यापारी को अधिकृत किया जाता है।
 - कार्डधारक तब उसी व्यापारी को अपने संग्रहीत मास्टरकार्ड या वीजा खाते से बलि करने के लिये अधिकृत करता है।
 - **ई-कॉमर्स** कंपनियों और एयरलाइंस तथा सुपरमार्केट चेन सामान्य रूप से अपने सॉस्टिम में कार्ड वविरण को संग्रहीत करते हैं।
- **कार्यानवयन के लिये और समय की मांग:**
 - यदि आरबीआई के नए जनादेश को वर्तमान स्थिति में लागू किया जाता है, तो यह वशिष रूप से व्यापारियों के लिये बड़े व्यवधान और राजस्व की हानि का कारण बन सकता है।
 - टोकन नयियों के कारण ऑनलाइन लेन-देन करने वाले व्यापारी 31 दिसंबर के बाद अपने राजस्व का लगभग 20-40% तक का नुकसान झेल सकते हैं और उनमें से कई व्यापारियों, वशिष रूप से छोटे व्यापारियों के लिये यह बहुत नुकसानदेह होगा, जिससे उन्हें अपना व्यापार भी बंद करना पड़ सकता है।
 - इस प्रकार के व्यवधान डिजिटल भुगतान के संदर्भ में वशिवास को कम करते हैं और उपभोक्ता को वापस नकद-आधारित भुगतान की ओर ले जाते हैं।
 - व्यापारी अपनी भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों का परीक्षण और प्रमाणन तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि बैंक एवं कार्ड नेटवर्क प्रमाणित नहीं हो जाते हैं तथा उपभोक्ता के लिये तैयार समाधानों हेतु स्थिर एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के साथ नहीं आ जाते।

आगे की राह

- आरबीआई ने कहा है कि जून 2022 के बाद व्यापारियों के ऑनलाइन सॉस्टिम से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा हटा दिया जाएगा।
- टोकन के अलावा उद्योग के हतिधारक किसी भी उपयोग के मामले को संभालने के लिये वैकल्पिक तंत्र तैयार कर सकते हैं, जिसमें आवर्ती ई-जनादेश और ईएमआई वकिल्प या लेनदेन के बाद की गतविधि, चार्जबैक हैंडलिंग, वविाद समाधान, पुरस्कार या ईमानदारी कार्यक्रम शामिल हैं, इसमें वर्तमान में कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा CoF डेटा का संग्रहण भी शामिल है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/card-on-file-tokenisation>

